दिनाँक

दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग (4) में प्रकाशित करने हेतु:-

कार्यालय उपायुक्त पुलिस: यातायात: मुख्यालय: दिल्ली
दिल्ली यातायात पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली

अधिसूचना

क्योंकि नरेला मार्किट रोड (स्वामी स्वरूपा नन्द मार्ग) पर नई अनाज मण्डी से रामदेव चौक की तरफ यातायात के सुगम प्रवाह, और सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है ।

और क्योंकि यातायात की सघनता की समस्या के कारण सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए उपरोक्त मार्ग पर यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करना आवश्यक है ।

अत: मैं, आर. के. झा, उपायुक्त पुलिस यातायात, मुख्यालय दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 21 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा नरेला मार्किट रोड (स्वामी स्वरूपा नन्द मार्ग) पर नई अनाज मण्डी से रामदेव चौक की तरफ सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों के लिए अगले आदेश तक एक तरफा मार्ग की घोषणा करता हूँ ।

यह आदेश प्रत्येक दिन 24 घंटे लागू रहेगा ।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्त तथा तमाम थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जायेगी।

सम्बंधित अधिकरण एवम् सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण के सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाऐगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनाँक 10/9/14 को जारी किया गया।

(आर. के. झा)
उपायुक्त पुलिस:
यातायात मुख्यालय: दिल्ली

सं0 5711 — 5860 /या0 अभि0 शा0 डी0-2 दिनाँक दिल्ली 10/9/14

प्रतिलिपि समस्त कार्यालयों को प्रेषित है जैसा कि अंग्रेजी आदेश में।